रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 1986/भाद्र 18, 1908
No. 419] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 1986/BHADRA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1068(अ).—विस्फोटक नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस राजपत्र के जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है जनता को उपलब्ध करा दिये जाने के पैंतालीस दिन के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 1986 है।

2. विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 179 के उपनियम (1) में, सारणी के स्तंभ (1) में आने वाले "पुलिस उपअधीक्षक" शब्दों के स्थान पर "पुलिस निरीक्षक" शब्द रखे जायेंगे।

[सं. 2(13)/85-डी.पी.आर./ई.जी.जी.]
एस. गनेशपंडियन, उपसचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 4th September, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1068 (E) .—The following draft of certain rules further to amend the Explosives Rules, 1983, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration forty-five days after the Gazette containing this notification is made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 1986.

2. In sub-rule (1) of rule 179 of the Explosives Rules, 1983, for the words "a Deputy Superintendent of Police", appearing in column (1) of the Table, the words "an Inspector of Police" shall be substituted.

[No. 2 (13)|85-DPR|EGG]
S. GANESAPANDIAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986